25.11.20 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि उनके जवाब को ही बहस के रूप में कन्सीडर किया जावे।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी भी उक्त भूमि में सहखातेदार है तथा आज दिनांक तक प्रश्नगत भूमि के सहकाश्तकारों के बीच जोतों का विभाजन नहीं हुआ है।

(i) चूंकि प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का रिकॉर्डेड टिनेन्ट है, अतः प्रथमदृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

(ii) चूंकि प्रश्नगत भूमि के जोतों का बंटवारा नहीं हुआ है, अतः यदि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशिष्ट किलाजात का ~~बंटवार~~ बेचान कर दिया जाता है, तो असुविधा प्रार्थी को होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

(iii) चूंकि प्रार्थी ने [illegible] बंटवारानामा के आधार पर [illegible] अनुतोष चाहा है, यदि अप्रार्थीगण द्वारा [illegible]अनुतोष में प्र[illegible] द्वारा चाहे गए किलों का बेचान कर दिया जाता है एवं वाद बादी के पक्ष में डिक्री हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:21 IST
Reason: SelfAttested

हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | ज

फलतः अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निर्धारित करने हेतु विचारणीय तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला पाबंद किया जाता है कि वे चक 72जोबी तहसील अनूपगढ़ के प.नं. 268/436 मु.नं. 20 के किला नं. 1 ता 25 का 6.200 है. कमाण्ड कृषि भूमि के किन्ही विशिष्ट किलाजात को रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तान्तरित न करें। फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

25/11/20

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 19:29:21 IST
Reason: SelfAttested